न्यायालय तहसीलदार (भू–अ.), श्री करणपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रामनाथ शर्मा

प्रकरण संख्या – 30/2019

अनवान – रुप सिंह पुत्र मुकन्द सिंह जाति जट्टसिख निवारी गांव 40 एफ तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर बनाम हरखासआम।

किस्म मुकदमा – वसीयत के अनुसार नामान्तरण किये जाने बाबत।

वसीयतकर्त्ता का नाम – सरजीत कौर पत्नि मुकन्द सिंह जाति जट्टसिख निवासी गांव 40 एफ तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर।

–: निर्णय :–

दिनांक – 24-11-20

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का अध्ययन किया गया। जिसका संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है–

प्रार्थी रुप सिंह पुत्र मुकन्द सिंह जाति जट्टसिख निवासी गांव 40 एफ तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की माता सरजीत कौर पत्नि मुकन्द सिंह जाति जट्टसिख निवासी गांव 40 एफ तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर ने चक 40 एफ की भूमि की वसीयत दिनांक 20.12. 2018 को रुप सिंह पुत्र मुकन्द सिंह जाति जट्टसिख के पक्ष में की है, जिसका प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा नोटरी, श्री करणपुर से प्रमाणित वसीयत मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है।

संलग्न वसीयत का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार वसीयतकर्त्ता सरजीत कौर पत्नि मुकन्द सिंह जाति जट्टसिख निवासी गांव 40 एफ तहसील श्री करणपुर ने चक 40 एफ की जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खा.सं. 78/63 के मु.नं. 50 के कुल 5.313 हैक्ट. में से 1.265 हैक्ट. नहरी भूमि अपने पुत्र रुप सिंह पुत्र मुकन्द सिंह जाति जट्टसिख निवासी गांव 40 एफ तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर के नाम करने की इच्छा जाहिर की है। वसीयत पत्र नोटरी, श्री करणपुर से दिनांक 20.12.2018 का प्रमाणित है। प्रार्थी द्वारा वसीयत के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें मृत्यु दिनांक 24.04.2019 को हुई है, पेश किया गया है।

पटवारी हल्का धरिगांवाली से रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी चक 40 एफ की जमाबन्दी के अनुसार मु.नं. 50 में 1.265 हैक्ट. नहरी भूमि सरजीत कौर पत्नि मुकन्द सिंह जाति जट्टसिख के नाम दर्ज रिकार्ड है। रकबा खातेदारी है, प्रार्थीया को उक्त रकबा जरिये वसीयत प्राप्त हुआ है तथा कोई विवाद/स्थगन आदेश नहीं है, सिलींग सीमा से प्रभावित नहीं है, सार्वजनिक कार्य हेतु अवाप्त नहीं है, रकबा रहन, बैय नहीं है।

इस न्यायालय के पत्रांक व.अ./भूअ/8043 दिनांक 07.01.2020 द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति/ऐतराज बाबत किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञप्ति/सार्वजनिक सूचना जारी की गई। जो कि दैनिक समाचार पत्र सीमा सन्देश के दिनांक 09.01.2020 के अंक में प्रकाशित हुई। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद आज दिनांक तक इस वसीयत के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/ऐतराज प्राप्त नहीं हुआ है।

वसीयत में दर्ज गवाहान मुकन्द सिंह पुत्र पाला सिंह जाति जट्टसिख निवासी गांव 39 एफ तहसील श्री करणपुर ने दिनांक 17.03.2020 को उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाये कि वसीयतकर्त्ता सरजीत कौर पत्नी मुकन्द सिंह द्वारा उनके समक्ष वसीयत लिखवाई गई थी जो सही है एवं वसीयत अपनी स्वेच्छा व रजामन्दी से करवाई बताया गया। एक अन्य गवाह गोपी राम जेल में है, जिस कारण से उसके बयान नहीं हो पाये हैं। वसीकानवीस तारा चन्द पुत्र आदू राम जाति मेघवाल निवासी 53 जीजी तहसील श्री करणपुर ने भी दिनांक 17.03.2020 को बयान दर्ज करवाये कि वसीयतकर्त्ता सरजीत कौर पत्नी मुकन्द सिंह द्वारा वसीयत स्वेच्छा से लिखवाई गई थी व पूरा सुनने के बाद अंगूठा लगाया गया था।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मय संलग्न कागजात, पटवारी हल्का रिपोर्ट, वसीयत के गवाहान के बयान एवं सीमा सन्देश में विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरान्त आज तक कोई आपत्ति/ऐतराज प्राप्त नहीं हुआ। इससे वसीयत की सत्यता प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा पटवारी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तथा मौके पर कब्जा आदि का विवाद नहीं हो तो प्रार्थी के मूल दस्तावेज का मिलान करते हुये वसीयत अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

तहसीलदार (भू-अ.)
श्रीकरणपुर

तहसीलदार (भू अ.)
श्रीकरणपुर